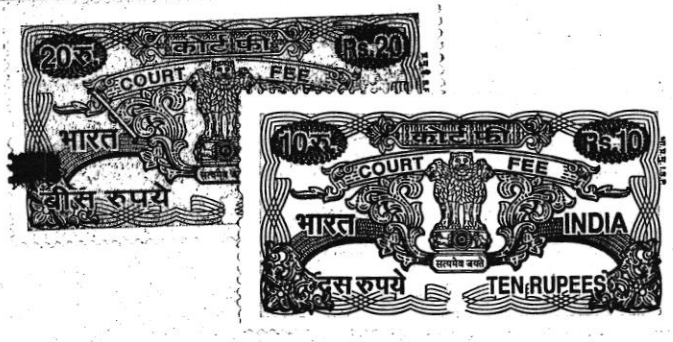

9.9.2017

(61)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

II/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3638

1. सुरेन्द्र सिंह तनय रामभरोसे यादव
2. राजेन्द्र सिंह तनय रामभरोसे यादव
निवासी ग्राम गलान तह. नौगांव
जिला छतरपुर म.प्र.
3. गोविंद सिंह तनय सुरेन्द्र सिंह
4. यादव नावालिक द्वारा पिता सुरेन्द्र सिंह
गिलान तहसील नौगांव जिला छतरपुर
5. गजेन्द्र सिंह तनय राजेन्द्र सिंह यादव
नावालिक द्वारा संरक्षक पिता राजेन्द्र
सिंह यादव नि. ग्राम गिलान तह. नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र0 ....आवेदकगण

//विरूद्ध//

बलवान तनय निहाल सिंह बुन्देला,
निवासी हरपालपुर तह0 नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र. ....अनावेदक

मुकेश भार्गव एडवोकेट
03-10-17
प्रस्तुत
3-10-17

मुकेश भार्गव
3-10-17 एडवोकेट
ग्वालियर
CF-16-10-17

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर म.प्र. के प्रकरण क्र. 178/अ–6/15–16 में पारित आदेश दिनांक 21–09–2017 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि अपीलार्थी क्र.1 व 2 के भूमि स्वामी स्वामित्व की भूमि थी जिन्हें पैसें की आवश्यकता होने से उन्होनें उक्त भूमि का उक्त भूमि रहम रखकर अनावेदक क्र.1 से पैसा उधार लेकर मनभरती बैनामा निष्पादित कराया था। जिसे दिनांक 01.01.2006 को पूरा भुगतान करने के उपरांत विक्रयपत्र वापिस प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में अनावेदक बलवानसिंह से लेखकराकर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अपने पास रखकर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– एक/निग0/छतरपुर/भू.रा./2017/3638 जिला – छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के अवलोकन उपरांत यह पाया गया है कि आवेदक द्वारा अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 58 रकबा 1.193 पंजीकृत विक्रयपत्र से विक्रय करने के बाद भी तहसील न्यायालय से बटवारा किया गया । अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरां तनामांतरण पंजी पर पारित बटवारा आदेश निरस्त करते हुए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर अनावेदक का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में कोई अनियमितता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने से यह पुनरीक्षण अग्राह्य किया जाता है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो प्रशा0 सदस्य	